

फर्द अहकाम

कन्हैयालाल

बनाम

जगदीश वगैरह

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)


प्रार्थना पत्र संख्या .45/2023 अस्थायी निषेधाज्ञा 212 आरटीए
आज्ञा विस्तृत रूप से

नांक
आज्ञा या
कार्यवाही
दिनांक 2025
27/4/25

विशेष
विवरण

पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित ।
इस प्रकरण से सम्बन्धित इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण सं०
60/2022 उनवान बाबूलाल बनाम घीसी व अन्य जो कि माननीय
राजस्व मण्डल अजमेर से निगरानी सं० 4459/2023 उनवानी
कन्हैयालाल बनाम बाबूलाल में पारित आदेश 1.8.2024 की पालना
में पत्रावली प्राप्त हुई है, में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल
अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 1.8.2024 में इस वादपत्र सं०
42/2022 को उनवानी प्रकरण सं० 60/2023 के साथ सम्मिलित
कर दोनों वादों में विधिनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया
गया है।

अतः माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक
1.8.2024 की पालना में उक्त उनवानी प्रकरण सं० 42/2023 के
साथ पेश इस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को भी प्रकरण सं०
60/2023 उनवान बाबूलाल बनाम घीसी व अन्य के साथ पेश
अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सं० 66/2022 के साथ कन्सोलिडेड
किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर प्रकरण सं०
66/2022 के हमफिता रहें।


उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)